न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 14/2021
GCMS NO. 2021/93

होशियार सिंह पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद उम्र 68 वर्ष जाति अहीर निवासी पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.) (8278834601)

..................वादी

– ब ना म –

1. दुर्गाप्रसाद पुत्र रामधन उम्र 88 वर्ष जाति अहीर निवासी पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. नाथाराम पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति अहीर निवासी पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. विक्रम पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति अहीर निवासी पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. इन्द्रावती पुत्री दुर्गाप्रसाद पत्नी रोहिताश जाति अहीर निवासी सिहोड़िया की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. निम्बो पुत्री दुर्गाप्रसाद पत्नी गजराज जाति अहीर निवासी आकोली तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ (हरि0)
6. लाली पुत्री दुर्गाप्रसाद पत्नी महिपाल जाति अहीर निवासी आकोली तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ (हरि0)
7. उप पंजीयक बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.....................प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेश कुमार यादव	अभिभाषक	वादी
2. श्री मुकेश चौधरी	अभिभाषक	प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 6

–: निर्णय :– दिनांक :– **17.04.2025**

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से दिनांक **28.01.2021** को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि वाके ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 22 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 27 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 125 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 256 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 501 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा एवं गत खसरा नम्बर 709 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 728 रकबा 2 बीघा ... किता ... कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार रामधन व सुण्डा पुत्रान गंगासहाय जाति अहीर निवासी पांथरोली ... जिनमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:49 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

सुण्डाराम के कोई जीवित वारिस नहीं बचा एवं सुण्डाराम की मृत्यु होने पर उसका हिस्सा भी उसके भाई रामधन को प्राप्त हुआ रामधन की वंशावली इस प्रकार है :–

गंगासहाय

रामधन (फौत)	सुण्डा (फौत उसके वारिसान भी नाऔलाद फौत)
दुर्गाप्रसाद 1. होशियार सिंह पुत्र वादी नम्बर 1 2. नाथाराम पुत्र वादी नम्बर 2 3. विकम पुत्र वादी नम्बर 3 4. इन्द्रावती पुत्री वादी नम्बर 4 5. निम्बो पुत्री वादी नम्बर 5 6. लाली पुत्री वादी नम्बर 6	

इस प्रकार यह भूमि पहले रामधन की थी उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है। यह भूमि वादी की पैतृक भूमि है। रामधन से पूर्व उसके हक पूर्वाधिकारी की थी इस प्रकार यह भूमि वादी की पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक भूमि है जिसमें वादी का अपने पिता के जीवन काल से ही हित निहित है। इस प्रकार वादी का इस भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के बराबर ही हक व अधिकार है।

2. यह कि वादी का वाद वर्णित भूमि में 1/6 हिस्सा है जो उसे जन्म से ही प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का 5/6 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 अत्यधिक वृद्ध हो चुका है एवं उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो चुकी है तथा वृद्धावस्था के कारण वह पूर्ण रूप से अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के ही असर में है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 की कमजोरी वृद्धावस्था के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ होने से उसे अपने प्रभाव में ले रखा है। वह पूर्ण रूप से प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 के नाजायज असर में है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी को उसके हक व अधिकारों से वंचित करना चाहते है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर अंगूठा करवाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज वादी के हक व हित की भूमि पैतृक भूमि को खुर्द बुर्द कर रहे है उसे बेचान कर रहे है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है।

3. यह कि वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित भूमि के हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.94 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.76 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 1.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.36 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 546 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 804 रकबा 0.75 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 847 रकबा 0.61 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 913/804 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 953/25 रकबा 0.03 हेक्टेयर किता 12 रकबा 6.70 हेक्टेयर कायम किये गये है।

4. यह कि भूमि हाल खसरा नम्बर 146, 280, 29, 36, 40, 534, 545, 546, 804, 847, 913/804, 953/25 किता 12 रकबा 6.70 हेक्टेयर में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा एवं इसी अनुसार वादी अपने हक हिस्से व अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. यह कि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाजायज असर में है। इस कारण वादी की पैतृक भूमि गांव पांथरोली स्थित हाल खसरा नम्बर 388, 389, 390, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 404, 405, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 432, 436, 437, 439, 440, 454, 455, 471, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 505, 506, 507, 514, 515, 516, 517, 518, 519 किता 42 रकबा 6.78 हेक्टेयर जिसमें वादी के दादा रामधन व उसके हकपूर्वाधिकारियों का 1/10 हिस्सा है जिसमें वादी का भी 1/6 हिस्सा अर्थात 1/60 हिस्सा है। उसमें से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर अंगूठा कर उसमें से भूमि खसरा नम्बर 514 व 517 का रकबा जरिये नोटेरी बेचान किया है एवं 24,90,000/— रूपये प्राप्त कर लिये है एवं अब विक्रय पत्र और भी पंजीकृत करवा रहे है जबकि इस भूमि में भी वादी का जन्म से ही हित निहित है अर्थात यह भूमि भी वादी की पैतृक भूमि है लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के वृद्धावस्था एवं पुढापे के कारण मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होने से वादी को उसके हक अधिकारों से वंचित करने के लिये वादी की पैतृक भूमि को खुर्द—बुर्द करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 से इस भूमि के 1/20 हिस्सा का विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2005 को पंजीकृत भी करवा दिया है।

6. यह कि वादी की भूमि हाल खसरा नम्बर 804 जो गांव की आबादी के पास एवं आम सडक से सटकर है उस भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सम्पूर्ण को अपने विशिष्ट कब्जा में लेने की नियत से 4—5 दिन से उसमें नीव खोदकर निर्माण करने लगे है जिसका उन्हे कोई वह व अधिकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 व 3 इस कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन के गैर कृषि में परिवर्तित कर रहे है तथा वादी को उसके हक अधिकारों से वंचित करना चाहते है। इस पर वादी ने दिनांक 13.01.2021 को तहसीलदार बुहाना को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उन्होने पटवारी हल्का को नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राजनैतिक व आर्थिक रूप से सम्पन्न है एवं प्रभावशाली होने से पटवारी ने कोई कार्यवाही नहीं की ना ही पटवारी से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पाबन्द हुये एवं दिन रात मजदूर मिस्त्री लगाकर जोरों से निर्माण शुरू कर दिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को ना तो कृषि भूमि को गैर कृषि में परिवर्तन करने का अधिकार है ना ही वादी को उसके अधिकारों से वंचित करने का अधिकार है। इसलिये वादी के लिये अपने हक व अधिकारों की घोषणा हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

7. यह कि दावा के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित गत खसरा नम्बर की भूमि व वाद पत्र के खण्ड नम्बर 3 में वर्णित हाल खसरा नम्बर की भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा है एवं यह सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। यह भूमि वादी की पैतृक खातेदारी की भूमि है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के असर में इसे खुर्द—बुर्द करने, रहन, बेचान, गिरवी, दान या किसी भी रूप में हस्तानान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं है एवं वादी को अपने अधिकारों की घोषणा करवाने एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के असम्यक असर से अपने नाम दर्ज पैतृक भूमि को रहन, बेचान, दान, गिरवी या किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरित कर दिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

8. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि वादी की पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि होने, प्रतिवादी संख्या 1 की वृद्धावस्था का नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा इसे खुर्द—बुर्द रहन बेचान गिरवी एवं हस्तानान्तरित करने या आमादा होने एवं वादी का इस भूमि में जन्म से ही हित निहित होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested

इसे खुर्द बुर्द रहन, बेचान गिरवी हस्तानान्तरित करने का हक व अधिकार नहीं होने से तथा वाद पत्र के खण्ड संख्या 8 में वर्णित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेचान करने से पैदा हुआ है। अतः दावा अन्दर मियाद है वैसे भी इस प्रकार के वादी के लिए कानून में कोई मियाद निर्धारित नहीं है।

9. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम पांथरोली में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान्जी की हदूद में स्थित होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान्जी को प्राप्त है।

10. यह कि प्रतिवादी संख्या 7 लोक सेवक है जिसके खिलाफ दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया जा सकता है लेकिन यदि नोटिस देकर दावा पेश किया जाता है तो वादी का दावा पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 इसे रहन बेचान खुर्द–बुर्द कर देंगे इसलिए वादी के लिये न्यायालय श्रीमान्जी की अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है।

11. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/– रूपये एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/– रूपये अर्थात दावा कुल 2/– रूपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान्जी की सेवामें पेश है।

12. यह कि वाद पत्र द्वितीय प्रति में है एवं वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश है।

13. यह कि वाद वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकार्ड पेश किया गया है।

14. **अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–**

(क) वाके ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 146, 280, 29, 36, 40, 534, 545, 546, 804, 847, 913/804, 953/25 किता 12 रकबा 6.70 हेक्टेयर में वादी को 1/6 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 को 5/6 हिस्सा का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम इसकी खातेदारी से समाप्त किये जाने कि कृपा करें एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम पांथरोली स्थित भूमि खसरा नम्बर 146, 280, 29, 36, 40, 534, 545, 546, 804, 847, 913/804, 953/25 किता 12 रकबा 6.70 हेक्टेयर के किसी भी भाग को दान, रहन, बेचान, गिरवी, हस्तानान्तरण नहीं करें इसको खुर्द–बुर्द नहीं करें ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करवाये तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आवेदन पत्र में वर्णित भूमि के किसी भी भाग पर किसी भी तरह का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करें। इसमें निर्माण सामग्री नहीं डाले ऐसा कृत्य ना स्वयं करें ना किसी अन्य से करावे। प्रतिवादी संख्या 7 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह इस भूमि के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दान, रहन, गिरवी, बेचान या हस्तानान्तरण विलेख को पंजीकृत नहीं करें।

(ग) वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादी जिसके वाजिब हकदार हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested

15. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तामिल जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 को जवाब दावा पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये बावजूद इसके जवाब दावा पेश नही करने पर इनका जवाब दावा अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से इस आशय का जवाब दावा पेश किया गया कि :–

16. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि में गत खसरा नम्बर स्वीकार है तथा इस भूमि के खातेदार काश्तकार रामधान व सुण्डा पुत्रान गंगासहाय होना भी स्वीकार है। शेष अस्वीकार है तथा वंशावली अस्वीकार है। रामधान के एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 दुर्गाप्रसाद व 2 पुत्रीया क्रमशः रामदेई व जयदेई है जिन्होने अपना 2/3 हिस्सा अपने भाई दुर्गा प्रसाद को अपने जीवन काल में ही दे दिया था। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा स्वयं व 2/3 हिस्सा अपनी बहनों से प्राप्त हुआ है। इस खण्ड में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व 2/3 हिस्सा उसकी बहिनों रामदेई व जयदेई का है जिन्होने अपना 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में तर्क कर दिया है। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का बराबर हिस्सा है।

17. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 2 जिस भाती दर्ज है अस्वीकार है। वाद वर्णित भूमि मे वादी को मात्र 1/7 हिस्सा ही मिल सकता है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वारिसान है जिनमें 3 पुत्र व 3 पुत्रिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं है। इस प्रकार से वादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा ही बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 की हालत अच्छी है तथा उसके सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 को कोई प्रभाव में नहीं ले रखा है, बल्कि वादी व उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 को रोजाना मारपीट करते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हर समय अनादर करते है तथा गाली गलौच निकालते रहते है। सन् 2004 में भी वादी का पुत्र कृपाल सिंह, पुत्र वधु सीमा देवी व वादी की पत्नी शारदा देवी ने दिनांक 28.08.2004 को भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मारपीट की थी जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने उनको तहसीलदार बुहाना से पाबन्द करवाया था तथा वादी के पुत्र ने प्रतिवादी संख्या 1 की जलाने की लकड़ीयों को आग लगा दी थी जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने बुहाना थाना में वादी पुत्र, पुत्र वधु व पत्नी के विरूद्ध एक एफ.आर.आर. नम्बर 253/2004 दर्ज करवाई थी, इस प्रकार से वादी व उसके परिजन शुरू से ही प्रतिवादी संख्या 1 को तंग व परेशान करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी जान बचाकर प्रतिवादी संख्या 2, 3 के पास रहता है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 किसी प्रकार की कोई भूमि बेचान नहीं कर रहे है। इस भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा है। उस 1/7 हिस्से से अधिक की भूमि को रहन, बेचान करने को प्रतिवादी संख्या 1 स्वतंत्र है जिसका वादी को कोई अधिकार नहीं है।

18. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 3 स्वीकार है।

19. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 4 जिस भाती दर्ज है अस्वीकार है। हाल खसरा नम्बर 146, 280, 29,36, 40, 534, 545, 546, 804, 847, 913/804, 953/25 कुल किता 12 कुल रकबा 6.70 हेक्टेयर का वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा काश्त है। वादी का कोई संबंध सरोकार नहीं है। फीर भी प्रतिवादी संख्या 1 वादी को 1/7 हिस्सा देने के लिए तैयार है क्योंकि उक्त भूमि में उसका 1/7 हिस्सा है क्योंकि प्रतिवादी [illegible] व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 सन्तान है। शेष 6/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का है।

20. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 5 जिस भाती दर्ज है [illegible] है। प्रतिवादी संख्या 3 ने किसी प्रकार का कोई बेचान नहीं करवाया है। [illegible] संख्या 1 के 3 पुत्रिया है। उनके भात छुछक व प्रतिवादी के पुत्रों की शादी की उस समय प्रतिवादी संख्या 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

भारी कर्जा हो गया था उसी वजह से मजबूरी में प्रतिवादी के लिए व अपनी पुत्रीयों के भात, छुछक के लिए बेचान किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, 3 का कोई लेना देना नहीं है।

21. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 6 जिस भाती दर्ज है अस्वीकार है। खसरा नम्बर 804 में वादी ने 1/7 हिस्से पर 2004 में ही चारदिवारी बनाकर निर्माण कर रखा है। शेष रही भूमि प्रतिवादीगण की है। जब वादी ने स्वयं ने अपने 1/7 हिस्से में चार दिवारी बनाकर निर्माण कर रखा है तब प्रतिवादी को नहीं रोक सकता है तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 वाद वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी को प्रतिवादी संख्या 2, 3 को पाबन्द करवाने का कोई अधिकार नहीं है जब वादी ने स्वयं ने 2004 में बिना संपरिवर्तन के गैर कृषि में परिवर्तन किया है। इसलिए वादी अपने कृत्य से स्टापेज है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 कृषि उपकरण रखने व पशुओं के लिए अपने हिस्से में निर्माण कर रखा है जिसमें वादी को कोई क्षति नहीं हो रही है। वादी ने अपने हिस्से पर 2004 में ही निर्माण करके चारदिवारी बना रखी है।

22. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 7 जिस भाती दर्ज है। अस्वीकार है। इस भूमि से वादी का कोई संबंध सरोकार नहीं है फीर भी वादी की पैतृक भूमि मानकार उक्त वाद पेश किया है, तो वादी का इस भूमि में मात्र 1/7 हिस्सा है तथा वादी मात्र 1/7 हिस्से की भूमि तक को रहन, बेचान से पाबन्द करवा सकता है। शेष 6/7 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रहन, बेचान करने की भूमि को स्वतंत्र है जिससे वादी को कोई क्षति पूर्ति नहीं हो रही है तथा वादी ने मात्र घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया है। कोई विभान नहीं चाहा है इसलिए उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 स्वछित व्यक्ति है। वादी व उसका पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 को हैरान परेशान कर रहे है तथा खसरा नम्बर 804 पर स्वयं अकेला कब्जा करने की फिराक में है।

23. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 8 जिस भाती दर्ज है अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 स्वस्थचित है। उसको अपने भले बुरे की जानकारी है। वादी का इस भूमि में 1/7 हिस्सा है। उसके अधिक 6/7 हिस्से तक का रहन बेचान करने का प्रतिवादी संख्या 1 को अधिकार है। लेकिन वादी ने जान बुझकर 1/6 हिस्से का दावा किया है जो चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को हरान परेशान करने के लिए उक्त वाद पेश किया है। 2004 में ही वादी का पुत्र व पुत्र वधु व पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मारपीट कर चुके है तथा उसकी छड़िया चला चुके है जिस बाबत पुलिस थाना बुहाना में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसलिए वादी को कोई आधार विवाद पैदा नहीं हुआ।

24. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 9 बाबत क्षेत्राधिकार है जिसके उतर की आवश्यकता नहीं हुई है।

25. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 10 में प्रतिवादी संख्या 7 लोक सेवक होना स्वीकार है तथा उसके विरूद्ध वाद करने से पूर्व उसको 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जो वादी ने नहीं दिया तथा ना ही न्यायालय में [illegible] पेश करने हेतु अलग से कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए उक्त वाद चलने योग्य नहीं है।

26. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 11 बाबत कोर्ट फीस [illegible] जिसके उतर की आवश्यकता नहीं है।

27. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 12 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

28. **अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि :–** वादी का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

29 वादी की ओर से पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल भू
प्रबन्ध विभाग प्रतिलिपि क्रमांक 13 दिनांक 19.01.2021, नकल मिसल हैकियत संवत
2043 खाता संख्या 24, नकल मिसल हैकियत संवत 2038 खाता संख्या 75, नकल
जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 खाता संख्या 79, नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078
खाता संख्या 39, 189, 71, नकल नक्शा ट्रेस सेग्रीगेशन चालू राजस्व ग्राम पांथरोली
तथा फोटो प्रति इकरारनामा बाबत भूमि बेचान दिनांक 21.08.2020, 19.08.2020, फोटो
प्रति विक्रय पत्र दिनांक 20.09.2005, फोटो प्रति उपहार पत्र दिनांक 05.10.2021 पेश
किये गये। वादी की ओर से इसके अतिरिक्त अन्य और कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।
प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

30 अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान
सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी की
पैतृक दादालाई भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है, ने अपने नाम दर्ज
भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 388, 389, 390, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 404, 405,
421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 432, 436, 437, 439, 440, 454, 455, 471,
481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 505, 506, 507, 514, 515, 516, 517, 518, 519
किता 42 रकबा 6.78 हेक्टेयर में हिस्सा 1/20 का जरिये विक्रय पत्र के दिनांक 20.
09.2005 को दिगर व्यक्तियों को बेचान कर दी है। इसलिए वादग्रस्त भूमि कुल किता
12 कुल रकबा 6.70 हेक्टेयर में अब प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हिस्सा नहीं रहा है।
अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के अन्त में कथन किया कि वादी को वादग्रस्त भूमि
कुलल किता 12 कुल रकबा 6.70 हेक्टेयर में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार
घोषित किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने अपनी बहस में कथन
किया कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 146, 280, 29, 36, 40, 534, 545, 546,
804, 847, 913/804, 953/25 कुल किता 12 कुल रकबा 6.70 हेक्टेयर का वर्तमान
में प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा काश्त
है। वादी का कोई संबंध सरोकार नहीं है फिर भी वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक मानकर
कुल वारिसान 6, स्वयं 1 कुल 7 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी को 1/7 हिस्सा
की भूमि देने के लिए तैयार है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने अपनी बहस
के अन्त में कथन किया कि वादी ने जान बुझकर 1/6 हिस्से की भूमि का दावा किया
है, जो चलने योग्य नहीं है। वादी का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

31. पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा
अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध
जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 खाता संख्या 69 के खसरा नम्बर 22, 27, 125, 256,
501, 709, 728 कुल किता 7 कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर
146, 280, 29, 36, 40, 534, 545, 546, 804, 847, 913/804, 953/25 कुल किता
12 कुल रकबा 6.70 हेक्टेयर निर्मित हुये तथा मिसल हैकियत संवत 2038 के खाता
संख्या 75 के खसरा नम्बर क्रमशः 388, 389, 390, 393, 395, 396, 397, 398, 399,
404, 405, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 432, 436, 437, 439, 440, 454,
455, 471, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 505, 506, 507, 514, 515, 516,
517, 518, 519 किता 42 रकबा 6.78 हेक्टेयर के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त
भूमि वादी की दादालाई भूमि है। खसरा नम्बर 146, 280, 29, 36, 40, 534, 545, 546,
804, 847, 913/804, 953/25 कुल किता 12 कुल रकबा 6.70 हेक्टेयर सम्पूर्ण वर्तमान
में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर क्रमशः
388, 389, 390, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 404, 405, 421, 423, 424, 425,

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumlan Devi
Date: 2025.05.19 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested

426, 427, 428, 432, 436, 437, 439, 440, 454, 455, 471, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 505, 506, 507, 514, 515, 516, 517, 518, 519 किता 42 रकबा 6.78 हेक्टेयर में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 दर्ज रिकार्ड रहा जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सम्पूर्ण बेचान किया जा चुका है। उक्त 1/10 हिस्से के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 0.6780 हेक्टेयर भूमि आती है जिसके 7 हिस्से करने पर दादालाई हिसाब से वादी के हिस्से में 0.0968 हेक्टेयर भूमि आती है तथा खसरा नम्बर 146, 280, 29, 36, 40, 534, 545, 546, 804, 847, 913/804, 953/25 कुल किता 12 कुल रकबा 6.70 हेक्टेयर में 7 हिस्से करने पर दादालाई हिसाब से वादी के हिस्से में 0.9571 हेक्टेयर भूमि आती है। इस प्रकार वादी के हक में कुल 1.0539 हेक्टेयर भूमि आती है। वादी दादालाई कृषि भूमि के आधार पर अपने पिता के जिवित रहते हुये अपने हिस्से की भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

32. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादी के वाद पत्र के अभिवचनों, पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् के अनुसार वादी का वाद पत्र सन्देह से परे साबित होता है। लिहाजा वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

33. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 39 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 146, 280, 29, 36, 40, 534, 545, 546, 804, 847, 913/804, 953/25 कुल किता 12 कुल रकबा 6.70 हेक्टेयर में वादी को 1.0539 हेक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार **अंतिम पर्चा डिक्री** जारी हो।

34. निर्णय आज दिनांक **17.04.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

(सुमन देवी)

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

होशियार सिंह पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद उम्र 68 वर्ष जाति अहीर निवासी पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.) (8278834601)

..................वादी

– ब ना म –

1. दुर्गाप्रसाद पुत्र रामधन उम्र 88 वर्ष जाति अहीर निवासी पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. नाथाराम पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति अहीर निवासी पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. विक्रम पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति अहीर निवासी पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. इन्द्रावती पुत्री दुर्गाप्रसाद पत्नी रोहिताश जाति अहीर निवासी सिहोड़िया की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. निम्बो पुत्री दुर्गाप्रसाद पत्नी गजराज जाति अहीर निवासी आकोली तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ (हरि0)
6. लाली पुत्री दुर्गाप्रसाद पत्नी महिपाल जाति अहीर निवासी आकोली तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ (हरि0)
7. उप पंजीयक बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

....................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :–घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :– 14 / 2021

GCMS NO. 2021/93

निर्णय दिनांक :– 17.04.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में यह वाद आज तारीख **17.04.2025** को **सुमन देवी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष [illegible] के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल खाता संख्या 39 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 146, 280, 29, 36, 40, 534, 545, 546, 804, 847, 913 / 804, 953 / 25 कुल किता 12 कुल रकबा 6.70 हेक्टेयर में वादी को 1.0539 हेक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

जाता है। तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना को आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **17.04.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested